संख्या- 17/2022/78-2-2022-1387299

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0,
गोमतीनगर लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2022

विषय:- वेतन समिति(2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड के नियमित कार्मिकों को पुनरिक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड के पत्र संख्या-यूपीएल/एम डी/2018-19 दिनांक 27-11-2018 एवं लेखाधिकारी, अपट्रान पावरट्रानिक्स के पत्र संख्या–यू0पी0एल0/2020-21/1046 दिनांक 15-3-2021 एवं पत्र संख्या- यू0पी0एल0/2021-22/1286 दिनांक 28-02-2022 द्वारा किये गये अनुरोध एवं सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश सख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03-01-2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03-01-2017 में किये गये प्राविधानानुसार एवं उसमें उल्लिखित प्रविधानों/ शर्तो के अधीन अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 के नियमित एवं पूर्ण कालिक कार्मिकों को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान में लागू व्यवस्था के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01-01-2016 से उक्त शासनादेश दिनांक 03-01-2017 के साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स तालिका के अनुसार करते हुए दिनांक 01.01.2017 से अनुमन्य प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इसमें आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को निगम अपने स्रोतों से वहन करेगा तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

3- सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश सख्या- 1/2017/1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03-01-2017 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति एवं निगम के अभिलेखों की तथ्यात्मक शुद्वता के विषय में प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 संतुष्ट हो लेंगे।

4- निगम के सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा इस शासनादेश के साथ संलग्न (संलग्नक-1) विकल्प के साथ प्रारूप एवं बचनबद्व (संलग्नक-2) अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा, जो कार्मिक की सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जायेगा।

5- पुनरिक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ दिनांक 01-01-2016 से सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश सख्या- 1/2017/1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03-01-2017 के प्रस्तर-1(2) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- पुनरिक्षित वेतन मैट्रिक्स में अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश सख्या- 1/2017/1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03-01-2017 के प्रस्तर-1(4) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

7- पुनरिक्षित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार कार्मिकों का वेतन निर्धारण एवं वार्षिक वृद्धियॉ दिये गये जाने की व्यवस्था वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 67/2016/वे0आ0-2-144/दस-04-(एम) /2016 दिनांक 22-12-2016 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

8- ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/ निगम जहॉ ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू है वहॉ पुनरिक्षित वेतन मैट्रिक्स में ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु निर्धारित मापदण्ड ''संतोषजनक सेवाओं'' के स्थान पर '' बहुत अच्छा'' रखा जायेगा।

9- पुनरिक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप देय अवशेष के भुगतान की व्यवस्था राज्य कर्मियों के लिए लागू व्यवस्था के अनुरूप होगी।

10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-E-6-23-X-2022-23 दिनांक 16-06- 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

I. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
II. स्टाप ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
III. महा लेखाकार, (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ।
IV. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
V. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
VI. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
VII. निजी सचिव, अवस्थापना एवं आद्यौगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 ।
VIII. वित्त (व्यय-नियत्रण) अनुभाग-6 ।
IX. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 ।
X. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 ।
XI. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक -1

विकल्प का प्रारुप

1- मैं ----------01 जनवरी,2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूॅ/करती हूॅ।

2- मैं ----------अपने निम्न-उल्लिखित वास्तवित /स्थानापन्न पद के वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में।

3- मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर ---------- ----------रुपये हो जाए।मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक /----------के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूॅ/करती हूॅ।

विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन----------

हस्ताक्षर----------

नाम----------

पदनाम----------

कार्यालय जिसमें नियुक्त है-.....

4-जो लागू न हो, उसे काट दें।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक -2

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जायेगा।

हस्ताक्षर----------

नाम----------

पदनाम----------

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक -3

वेतन मैट्रिक्स में कार्मिक के वेतन निर्धारण हेतु उदाहरण।

सामान्य मामलों में वेतन निर्धारण

1-सम्बन्धित कार्मिक का विद्यमान वेतन बैण्ड पी0बी0-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन: रु0 2400 **2- वेतन बैण्ड में विद्यमान बैण्ड वेतन: रु0 10160** **3- विद्यमान मूल वेतन: रु0 12560(101160+2400)** **4- मूल वेतन को 2.57 के फिटमेट गुणांक से गुणा करने के पश्चात धनराशि 12560×2.57 =32279.20(32279 में पूर्णांकित)** **5- वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रु0 2400 के तदनुरुपी लेवल,लेवल 4 में उक्त पूर्णांकित धनराशि रु0 32279 के स्तर की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण उससे अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि- रु0 23300 के स्तर पर वेतन निर्धारित होगा।**	**वेतन बैंण्ड**	**5200-20200**				
	ग्रेड वेतन	**1800**	**1900**	**2000**	**2400**	**2800**
	लेवल	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	1	**18000**	**19900**	**21700**	**25500**	**29200**
	2	**18500**	**20500**	**22400**	**26300**	**30100**
	3	**19100**	**21100**	**23100**	**27100**	**31100**
	4	**19700**	**21700**	**23800**	**27900**	**31900**
	5	**20300**	**22400**	**24500**	**28700**	**32900**
	6	**20900**	**23100**	**25200**	**29600**	**33900**
	7	**21500**	**23800**	**26000**	**30500**	**34900**
	8	**22100**	**24500**	**26800**	**31400**	**35900**
	9	**22800**	**25200**	**27600**	**32300**	**37000**
	10	**23500**	**26000**	**28400**	**33300**	**38100**
	11	**24200**	**26800**	**29300**	**34300**	**39200**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक -4

दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1-सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रु0 2400 के तदनुरुपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल-लेवल 4 2- वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन: रु0 28700 3- प्रोन्नति।एसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरुप लेवल-लेवल 5 4- लेवल 4 में एक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन: रु 29600 5- लेवल 5 में रु0 29600 की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रु0 30100 सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन-रु0 30100	वेतन बैंण्ड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31100
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।